



## सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021

### प्रलिस के लयि:

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मध्यस्थ, आईटी अधिनयिम की धारा 69ए

### मेन्स के लयि:

सूचना प्रौद्योगिकी नयिम 2021, वचिर और अभवियक्ती की स्वतंत्रता, नीतयिों के नरिमाण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, सरकारी नीतयिों और हस्तक्षेप

### चर्चा में क्यो?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशिर-नरिदेश एवं डजिटल मीडिया आचार संहति) नयिम, 2021 में प्रस्तावति संशोधनों के एक समूह पर सार्वजनिक टपिणी के लयि एक मसौदा प्रस्ताव जारी कयि।

- हालौक मसौदा प्रस्ताव उसी दनि वापस ले लयि गया थ।
- [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती दशिर-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति\) नयिम, 2021](#) (IT नयिम, 2021) को फरवरी 2021 में अधसूचति कयि गया थ।

### नयिम:

- यह सोशल मीडिया का सक्रयि होना अनविर्य करता है:
  - प्रमुख तौर पर IT नयिम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में अधिक सक्रयि रहने के लयि बाध्य करता है।
- शकियत अधिकारी की व्यवस्था:
  - उन्हेँ एक शकियत नविरण तंत्र स्थापति करने और नरिधारति समय-सीमा के भीतर गैर-कानूनी और अनुपयुक्त सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है।
    - प्लेटफॉर्म के नविरण तंत्र का शकियत अधिकारी उपयोगकर्त्ताओं की शकियतों को प्राप्त करने और समाधान करने के लयि ज़मिमेदार है।
  - उससे अपेक्षा की जाती है कविह 24 घंटे के भीतर शकियत की प्राप्तिको स्वीकार करे और 15 दनों के भीतर उचति तरीके से उसका नपिटान करे।
    - प्लेटफॉर्म पर कसिी अन्य माध्यम से पहुँच स्थापति करने और प्रसार को अक्षम कयि जाना चाहयि।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीतयिों को यह सुनश्चति करना चाहयि कऱ उसके कंप्यूटर संसाधन सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ती कसिी भी ऐसी सामग्री को न होस्ट करे, न वतिरति करे, न प्रदर्शति करे और न अपलोड करे, न प्रकाशति करे एवं न शेयर करे, जो पेटेंट नयिमों या कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन करने वाली हो; कसिी लागू कानून का उल्लंघन करती हो; भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता को नुकसान पहुँचाने वाली हो. साथ ही भारत के मतिरतापूर्ण वदिश संबंधों को खराब करने वाली, कसिी दूसरे देश का अपमान करने वाली, लोक व्यवस्था बगिड़ने वाली व कसिी अपराध की जाँच को बाधति करने वाली हो।

### वापस लयि गए मसौदे में प्रस्तावति परविरतन:

- शकियत अपीलीय समति:
  - इसने एक अतरिकित स्तर की नगिरानी का प्रस्ताव रखा, जसिका नाम 'शकियत अपीलीय समति' है, यह समति शकियत नविरण अधिकारी के फँसलों के वरिद्ध उपयोगकर्त्ताओं की शकियतों का नपिटारा करेगी।
  - मोटे तौर पर यदऱ कोई उपयोगकर्त्ता शकियत नविरण अधिकारी द्वारा प्रदान कयि गए संकल्प से संतुष्ट नहीं है, तो वह सीधे न्यायालय जाने के बजाय शकियत अपीलीय समति में नरिणय के खलिाफ अपील कर सकता है।

- हालाँकि इसने किसी अन्य न्यायालय में अपील करने के उपयोगकर्त्ता के अधिकार को नहीं छीना ।
- सभी अपीलीय आदेशों को संकलित किया जाना चाहिये:
  - मसौदे में यह नरिधारित किया गया था कि इस सभी अपीलीय आदेशों का पालन किया जाना चाहिये ।
  - 'नगिरानी' पर सुझाया गया प्रश्न इस तथ्य से उपजा है कि 'शिकायत अपीलीय समिति' का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना था, जिसे अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था ।

## सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021:

- अभिव्यक्तियों को दबाने के लिये सरकार मध्यस्थ के रूप में:
  - इसने सरकार को इंटरनेट पर स्वीकार्य भाषण का मध्यस्थ बना दिया और किसी भी अभिव्यक्तियों को दबाने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित किया जो सरकार के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है ।
- शिकायत का समाधान करने दायित्व सोशल मीडिया पर:
  - मसौदे में यह दायित्व सौंपा गया है कि सभी सोशल मीडिया मध्यस्थ रपौटिंग के 72 घंटों के भीतर सभी शिकायतों का समाधान करें ।
  - अतः छोटी समय-सीमा ने शीघ्रता संबंधी दृष्टिकोण की आशंकाओं को जन्म दिया ।

## कानूनी चुनौतियाँ:

- वधायी दशा-नरिदेशों के नियम 9 के उप-खंड 1 और 3 को लागू करने पर वर्ष 2021 में रोक लगा दी गई थी ।
- ये उप-खंड समाचार और समसामयिक सामग्री और/या क्यूरेट की गई सामग्री से नपिटने वाले ऑनलाइन प्रकाशकों के लिये 'आचार संहिता' से संबंधित हैं ।
  - उप-खंडों में कहा गया था कि संस्थाएँ शिकायतों (उनके मंच से संबंधित) से नपिटने के लिये एक त्रि-स्तरीय तंत्र की सदस्यता लेती हैं ताकि उनकी संहिता का पालन किया जा सके ।
- इसमें प्रकाशकों (स्तर I) द्वारा स्व-वनियमन, प्रकाशकों के स्व-वनियमन निकाय (स्तर II) और अंत में केंद्र सरकार (स्तर III) द्वारा नरिक्षण तंत्र शामिल है ।
- मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा कि यदि लोगों को इंटरनेट पर सामग्री वनियमन के वर्तमान दायरे में लाया जाता है तो यह "लोगों को वधायी की स्वतंत्रता से वंचित करेगी और भाषण एवं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के उनके अधिकार सीमित करेगी । नैतिक संहिता उनके सरि पर डैमोकल्स की तलवार (Sword of Damocles) के रूप में लटकी हुई है ।"

## आगे की राह

- प्लेटफॉर्म को अधिक जानकारी साझा करना उस देश में प्रतिकूल साबित हो सकता है जहाँ नागरिकों के पास अभी भी किसी भी पक्ष द्वारा की गई ज़्यादातथियों से खुद को बचाने के लिये डेटा गोपनीयता कानून नहीं है ।
  - इस संदर्भ में [व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधियक, 2019](#) को पारित करने में तेज़ी लाने की आवश्यकता है ।
- उसके बाद यदि वनियमन अभी भी आवश्यक समझा जाता है, तो इसे कानून के माध्यम से लागू किया जाना चाहिये, जिस पसूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 A के अंतर्गत कार्यकारी नियम बनाने की शक्तियों पर भरोसा करने के बजाय संसद में बहस की जाती है ।

## स्रोत: द हद्दि